

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल—dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141-2740538,2741687
वेबसाईट:- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:- निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21

1085 To 1135 K
02-11-2021 दिनांक:-

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इलाहाबाद बैंक),
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया,
जयपुर।


विषय:- पेंशनर डाटा का कोषाधिकारी से मिलान कर शुद्धिकरण कार्य पूर्ण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21/1014-1082 दिनांक 01.11.2021 द्वारा समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर डाटा में Mismatch होने के कारण पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अधिक भुगतान या कम भुगतान हो रहा है, जिसे प्रत्येक माह बैंक स्क्रोल का मिलान कर स्क्रोल से कटौती की जाती है तथा आगामी माह में बैंक द्वारा अपना पक्ष पस्तुत करने के पश्चात् डाटा का मिलान कर शुद्धिकरण किया जाता है। डाटा Mismatch के सभी प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 12.11.2021 तक किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित बैंक शाखाओ (सीपीपीसी) के अधिकारियों को कोषाधिकारी से डाटा मिलान कर सभी Mismatch के प्रकरणों का निस्तारण करवाने हेतु सहयोग करने हेतु निर्देशित करावें ताकि उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सके।

भवदीय



(संजय सोलंकी)

निदेशक
दिनांक:-

क्रमांक:- निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा।
3. कोषाधिकारी.....(समस्त)।



निदेशक